

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना

संजय

बनाम

प्रभूराम वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212

मु० न० 54-सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1120

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुएतारीख
हुकम

28.10.2024

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से श्री मधुसूदन अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/ रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 26.11.2024 को पेश हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

26/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप रूपास्थी
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/25
को पेश हो।

9/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 29/1/25 को पेश हो।

29/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/1/25 को पेश हो।

20/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/03/25 को पेश हो।

23/7 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप रूपास्थी
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/10/25
को पेश हो।



14 ¹⁰/₂₅

फगावली पेरा इपी (वकुलाप शत्रुपीडव्यु)
 उमरण मे सुनवाई हेतु काट-2 भावाज
 लगाई गयी। काफजू काट-2 भावाज
 लगाने पर भी वकुलाप भयवा पत्रकारा
 मे ले हाजिर शफालत गरी वक्षाप
 अला कापीवादी उकाण अदर धजरी
 अदर पेटी मे खोजिज क्रिय जाला हे।
 फगावली फलल शुगाट हेम नम्वर
 से कर हेम चफाल थाखिल हे।
 निर्णय से इजलास सुनाय गय।



(Signature)
 राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)